

संचालनालय, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश

नस्ती क्रमांक.....म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ क्रमांक.....

विषय :- श्रीमती दुर्गा जयसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।

कृपया पी.यू.डी. का अवलोकन कीजिये। संचालनालय का पत्र क्रं. 4793 दि. 07.12.15 द्वारा श्रीमती दुर्गा जयसवाल सहायक निर्देशिका के 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष आयु किये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. 1381/2014 द्वारा दायर रिट में पारित आदेश दि. 03.02.14 के परिपेक्ष्य में प्रकरण में रिट अपील दायर किये जाने हेतु शासकीय अभिवक्ता मान. उच्च न्याया. जबलपुर से अभिमत चाहा गया था। श्री जहानवी पंडित डिप्टी एडवोकेट जनरल मान. उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 04.01.16 का अवलोकन करे जिसके द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :-

" All the other writ petition as aforesaid were disposed of by the hon'ble single bench of the hon'ble court relying upon the decision passed in case of yugal kishore sharma (supra) therefore, i opine that the order passed in writ petition no. 4030/2009 may be challenged by filling writ appeal mainly on the ground interalia that the instructors in women weaving center can not be equated to the post of teachers working in the government educational institution.

thus it is opined accordingly. "

प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता जबलपुर से प्राप्त उक्त अभिमत पर शीघ्र कार्यवाही करने तथा रिट अपील दायर किये जाने की अनुमति विधि विभाग से प्राप्त करने हेतु नस्ती शासन को अंकित करना चाहेगे।

प.स.

ज.स.

आयुक्त प्रमुख

सहायक संचालक(स्था.)

05/01/16

05/01/16

A ज.स. क.स.

कल्पना श्रीवास्तव
आयुक्त
महिला सशक्तिकरण

अनुकेति शर्मा-सं.

मार्ग

(माया सिंह)
मंत्री

महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश शासन

(जि.एन.कोसोटिया)

महिला एवं बाल विकास

पत्र जांचक क्र. 2046/16
दिनांक 08/01/16

क्र./संवा./म.स. 542
दिनांक 11-1-16


71
11-1-16

पंजी क्र. 184

दिनांक 11/2/16


शुर्क ५०० रु A कक्षा
अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

P.S.
निर्देशिका


(निर्देशिका संतोषिका)
प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास

170
21-1-16

न
नस्ती पर निर्णय की जाने पर कक्षा
की संशोधन / निर्णय के बिना उपलब्ध नहीं है
उपलब्ध समेत जो है नस्ती बापत की जाती है


(रजनी पंचाली)
उपनिर्देशिका
निर्देशिका

निर्देशिका के बाल विकास

1905
29-1-16

र.
श्री निर्देशिका
12/2/16

श्री निर्देशिका
12/2/16

530/2-25
23/1/16

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :- याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा
जायसवाल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग **मंत्री
म.वा.वि.**

पूर्व पृष्ठ से :-

कृपया टीप पृष्ठ 02/एन का अवलोकन करें। विधि
और विधायी कार्य विभाग की टीप के संदर्भ में जानकारी प्राप्त
करने हेतु नस्ती आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय को
अंकित की जाना प्रस्तावित है।

अनु.अधि.

~~अ.स.~~

~~सचिव (न.क.स.)~~

~~प्रमुख सचिव~~

~~सचिव~~
1.2.16

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

शायम/न.क.

JD (न.क.)

~~AD (S)~~

Urgent

AD (न.क.)

AD (न.क.)-2
(सचिव म.प्र. शासन)

सचिव (न.क.)

KL
S/-

-3-
8/2/16

8/2/16

8/2/16

8/2/16

क्र./सं.भा./सं.प्र. 1202
दिनांक 8.2.16

1322 AD (न.क.)
08/2/16

जा.क. 304/सचिवालय/16
क्रमांक 2/2/16

File Letter No. 2026
Date 8/2/16

517/PS/NCDI
No. 5-2-16

मंजी
म.ब.वि.
छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा
जायसवाल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

(1) माजी म. प्र. शासकीय विरिक्त का
मत लक्ष्य विरिक्त की प्रतिमा उपलब्ध रही है
उक्त उपलब्ध की प्रतिमा उपलब्ध समायोजित है
गलत बापु की जाती है

Ranchul
26.2.16

महिला वाम विरिक्त

(रजनी पंचोली)
अव लक्ष्य
निधि

3622
29/2/16

श्री विरिक्त
9
213

संचालनालय, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश

नस्ती क्रमांक.....म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ क्रमांक.....22

विषय :- श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।

अवर सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग की टीप दिनांक 28.01.16 के संदर्भ में प्रकरण संबंधी संक्षेपिका/ शासकीय अधिवक्ता का अभिमत/ अपील के आधार निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण :-

श्रीमती दुर्गा जायसवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक सिलाई निर्देशिका, के पद पर कार्यरत हैं। संबंधित द्वारा दिनांक 29.11.2013 को आवेदन प्रस्तुत कर सेवा निवृत्ति 62 वर्ष की आयु में किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उक्त आवेदन विचारोपरांत संचा. के प. क्र. 5390 दि. 31.12.2013 द्वारा पत्र अमान्य किया गया।

संबंधित द्वारा पुनः दिनांक 06.01.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर सेवानिवृत्ति अवधि 62 वर्ष किये जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर विचार करते हुए संचालनालय महिला सशक्तिकरण म.प्र. के पत्र क्रमांक 5852 भोपाल दिनांक 03.02.2014 द्वारा अवगत कराया गया कि म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत संचालित संस्थाएँ शैक्षणिक संस्थान न होने के कारण 62 वर्ष आयु पर सेवानिवृत्ति मान्य नहीं है, अतः आवेदन अमान्य किया जाता है।

संचालनालय महिला सशक्तिकरण के आदेश क्र. 5299 दिनांक 12.12.2013 द्वारा संबंधित की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 28.02.2014 को सेवा निवृत्त किया गया। इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका ने 60 वर्ष में की गई सेवानिवृत्ति को मान. न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह शिक्षक हैं और राज्य शासन द्वारा शिक्षक को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने के आदेश दिये गये हैं।

श्रीमती दुर्गा जायसवाल द्वारा दि. 11.02.14 को याचिका क्रमांक 1381/2014 में मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत कर कार्य अवधि दो वर्ष बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया। मान. उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :-

“Learned government Advocate appearing on behalf of the state of M.P. does not dispute that decision in Ku. Chandra Kakker and Yugal Kishore Sharma (supra) has been implemented.



संचालनालय, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश

नस्ती क्रमांक.....म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ क्रमांक.....23

विषय :- श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।

In view whereof, since the Instructor in the Women Weaving Centre has already been held to be a teacher entitled for an extended age of superannuation of 62 years, the petitioner can not be discriminated.

In the result, it is held that the petitioner being a teacher, has a right to serve till 62 years being the age superannuation.

Petition is allowed to the extent above. No costs."

शासकीय अधिवक्ता का मत:-

शासकीय अभिवक्ता द्वारा दिनांक 04.01.16 को निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :-

" All the other writ petition as aforesaid were disposed of by the hon'ble single bench of the hon'ble court relying upon the decision passed in case of yugal kishore sharma (supra) therefore, i opine that the order passed in writ petition no. 4030/2009 may be challenged by filling writ appeal mainly on the ground interalia that the instructors in women weaving center can not be equated to the post of teachers working in the government educational institution. thus it is opined accordingly. "

अपील का आधार :-

दिनांक 28.02.2016 को श्रीमती दुर्गा जायसवाल की 62 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है। म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क. 271/112/2015/50-1 दिनांक 04.02.2015 में यह आदेशित किया गया है कि विभाग अंतर्गत शैक्षणिक संस्था में कार्यरत कर्मचारी छात्र छात्राओं का अध्यापन का कार्य नहीं करते बल्कि सिलाई प्रशिक्षक आदि के रूप में कार्य करते हैं। अतः वित्त विभाग द्वारा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न शासकीय संस्थाओं में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष किये जाने पर असहमति व्यक्त की गई है। श्रीमती दुर्गा जायसवाल को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किये जाने पर शासन को याचिका कर्ता को अतिरिक्त भुगतान करना होगा एवं वित्त विभाग के निर्देशों के तहत शासकीय कर्मचारियों के 60 वर्ष में सेवानिवृत्त करने के आदेशों का पालन नहीं हो सकेगा एवं शासकीय धन की हानि होगी।



mt 9/11/97
24-216




संचालनालय, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश



नस्ती क्रमांक.....म.स.सं/2015 कक्ष स्थापना पृष्ठ क्रमांक.....

विषय :- श्रीमती दुर्गा जायसवाल, सहायक निर्देशिका की व्यक्तिगत नस्ती।



विषय :- याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा जायसवाल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग **मन्त्री**
म.बा.वि.

कृपया टीप 4/एन का अवलोकन करें। विधि और विधायी कार्य विभाग के चाहेनुसार प्रकरण में शासकीय अधिकृत का मत तथा निर्णय की प्रतियाँ चाही गई है। उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु नस्ती मूलतः वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण संचालनालय को अंकित की जाना प्रस्तावित है।

अनु.अधि. (अग्र. पा)

उप ~~प्र~~चिन

वि. क. प्र. सूच 311 पुस्तक में

Ry ✓
213

$$\frac{8}{213}$$

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

72/ (Ent)

KL
10/1

DZ/s,

-Zur
2013/16

AD-215

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 3116} \\ \underline{40} \\ 10 \overline{) 3116} \end{array}$$

इ.स. १५५५-५६

विधि और विधायी कार्य विभाग के
-नाट्यकार प्रयोग में आसानी से व्यवस्था काम
करा निर्णय की प्रति दृष्ट "अ" एवं "ब"
पर संलग्न की गई हैं। इसका नवीकरण
को संकेत दिया जाने हेतु प्रस्तुत।

~~A. O. P. T.~~

34/41 (2410)
JD 2/11

આપ્તકથા

05

कल्पना श्रीवास्तव
I.A.S.

वि.क.अ.-सह-आयुक्त
महिला सशक्तिकरण,

महिला सशक्तिकरण
सहाय्यप्रदेश

151

11/3/16

41376

1413

File/Letter No.

Digitized by

11/3/1984

1513

मंथी
म.ब.वि.
छब्वीस-२ सचिवालय

विषय :-

याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा
जायसवाल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य।

का विभाग

पूर्व पृष्ठ से :-

कृपया वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण
संचालनालय से प्राप्त नस्ती का अवलोकन करें। प्रकरण में विधि
विभाग द्वारा शासकीय अधिवक्ता का मत तथा निर्णय की प्रति
चाही गई थी, जो संचालनालय से जानकारी प्राप्त हो गई है।
(पृ. 3-8/सी)

2/ अतः याचिका क्रमांक 1381/2014 श्रीमती दुर्गा
जायसवाल विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय
जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2014 के विरुद्ध रिट
अपील दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि और विधायी कार्य
विभाग को अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अनु.अधि.

D/S.

सचिव

प्रमुख सचिव

निर्दिष्ट निम्न,

17/3

17/3

3

18/3/16

स्वामी उद्दकें
सचिव

21/3
(जे.एन.कांसाटिया)

प्रमुख सचिव
महिला एवं बाल विकास

8593

17-3-16

8593

89/16-184/16/1
24/3/16

1160
21/3/16